

कार्यालय,

समिष्ट प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2023/13693001

राजधानी दिनांक: 12-01-2023

सम्बद्धता प्राप्त

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्यालय अखिल इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजधानी से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में समग्र दिनांक 23-01-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघटित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय अखिल इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजधानी द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

| संस्था का कोड एवं नाम : 3182-DEVKUMARI RAJARAM PHARMACY 8-BKSHAM SANSTHAN | | | |
|---|---------------------|---|---|
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आईआईटीआई/पीसीआईआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
| 1. | DEPLOMA IN PHARMACY | 08 | 09 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसंधान उत्तर प्रदेश नेशनल कैम्पस संस्था 318115-3093/02/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्था संस्थाओं को उच्च के विस्तार तकनीकी शिक्षण में प्रवेश दिए अतिरिक्त संस्था 3007/0023 में तकनीकी शिक्षण के अतिरिक्त के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ सत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय अखिल इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्णय की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय अखिल इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुसंधान संस्था में समस्त संस्थाएं (पूर्व, भवन, वीक, उपकरण, आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ सत्र उच्च प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1967 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1967, विनियमवली-2006, सीएसटी विनियमवली-2018 तथा समस्त समस्त पर निर्णय आसपासों का अनुपालन करेगी तथा कुछ निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश सम्बद्धता में प्रदात किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त समस्त पर पालन द्वारा निर्णय किये जाने वाले कारनामों पर ध्यान देने, और अनुसंधान कार्यालय विनियम पालन आवश्यक होगा। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु भीम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शर्त ही लीनियम ही लागू होगी।
- ✓ सत्र में संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अतिरिक्त शर्तों को ही प्रवेश दिए जायेगा।
- ✓ सत्र को समस्त समस्त पर निर्णय आसपासों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क उच्च संपन्न होगा।
- ✓ समस्त उच्च प्रवेश सत्र द्वारा निर्णय विनियमवली-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 2006, प्राविधिक शिक्षा, 2000, संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा किये गये निर्णय, विनियमों, आदेशों, निर्णयों का पालन

